भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी मजबूत लड़ाई

अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश

नई दिल्ली, 26 जून. अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने 'नशा मुक्त भारत' का संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ड्रग्स के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है.

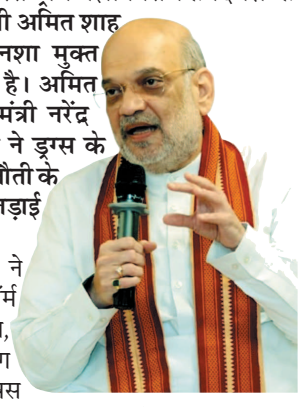

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं. अमित शाह ने आगे लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ड्रग्स के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है. इसके तहत नार्को-कार्टेल्स का कठोरता से सफाया किया जा रहा है और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया है. यह दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे.

स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक करें : धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके परिवार, समाज और राज्य की उन्नति में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है. उन्होंने कहा, हमारा संकल्प देवभूमि उत्तराखंड को नशे के अभिशाप से मुक्त कर स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवाशक्ति के माध्यम से एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है. आइए, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हम सभी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज में व्यापक जन जागरूकता फैलाने एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लें.

नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा है. यह व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को कमजोर करता है. आइए, आज 'अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस' के अवसर पर नशा-मुक्त समाज की दिशा में हर व्यक्ति को जागरूक कर एक बेहतर कल की ओर बढ़ें. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर लोगों से अपील करते हुए कहा, आइए, हम सभी नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें.

गांजा तस्करी का भंडाफोड़

लखनऊ, 26 जून. श्रावस्ती जिले की मल्हीपुर पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने 2.365 किलोग्राम गांजा, 19,82,645 रुपये भारतीय नकद, 320 रुपये नेपाली मुद्रा, एक नेपाली पासपोर्ट और गांजा पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.18 लाख रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई मोहर्रम पर्व के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान की गई. प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ कर्बला तिराहे पर मौजूद थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि जमुनहा गांव में एक परचून की दुकान की आड़ में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान के बाहर बैठे शिवप्रसाद को पकड़ लिया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

मुंबई, 26 जून. पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है और इसे केवल हत्या के एक मामले के रूप में नहीं, बल्कि समाज की बदलती मानसिकता के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए.

- **अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसी सोच क्यों अपना लेते हैं : फडणवीस**
- **सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले केतन के पिता**

मुख्यमंत्री ने कहा, पढ़े-लिखे और अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसी हिंसक सोच क्यों अपना लेते हैं. यह हम सभी के लिए गंभीर चिंतन का विषय है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

मुलाकात के दौरान केतन अग्रवाल के पिता ने मुख्यमंत्री से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनके बेटे की नृशंस हत्या ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है और उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. मामले से जुड़े परिवारों की ओर से कई भावनात्मक दावे भी सामने आए हैं. केतन की हत्या की आरोपी बताई जा रही सिया के संबंध में उसके परिवार की ओर से यह दावा किया गया कि उसकी कथित करतूतों से आहत होकर उसके पिता को हार्ट अटैक आया. वहीं, उसकी मां ने मीडिया से बातचीत में कथित रूप से कहा कि यदि उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए. इसी तरह, कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि कथित हत्या की साजिश के पहले दो प्रयास विफल होने के बाद सिया ने अपने साथियों को फटकार लगाई थी.

एफआईआर केवल दिखावे के लिए की गई

लखनऊ, 26 जून. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए.

केजरीवाल बोले... बड़े लोग बचाए जा रहे

केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर केवल औपचारिकता निभाने और लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है. उनका आरोप था कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता केवल कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों

के भरोसे नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि यदि करोड़ों रुपये के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च स्तर तक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि असली दोषियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को आगे किया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर इतने बड़े मामले में जवाबदेही किसकी है और जांच की दिशा क्या है. उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए वहां चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों में लोगों का विश्वास सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है, जबकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है.

प. बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी साजिश

एनआईए ने 11 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया

नई दिल्ली, 26 जून. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बंगलादेश (जेएमबी) के 11 संदिग्धों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में असम में गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है.

एनआईए की जांच से पता चला कि इन आरोपियों ने जेबीएम के ही एक और रूप इमाम महमूदूर काफिला (आईएमके) की साजिश में सक्रिय रूप से साथ दिया था। इस साजिश का मकसद पश्चिम बंगाल समेत असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस आतंकवादी संगठन की विचारधारा फैलाना था. आतंकवाद विरोधी संगठन की जांच से पता चला कि जेबीएम के वरिष्ठ सदस्य इमाम

- **हबीबुल्लाह ने भारत में आईएमके की स्थापना की थी**

महमूद हबीबुल्लाह ने भारतीय धरती पर प्रतिबंधित संगठन के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आईएमके की स्थापना की थी. जांच में आपत्तिजनक दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड की एक शृंखला का पता लगा है.

रिश्वत लेने के आरोप में पीएनबी मैनेजर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 जून. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगरा में तैनात पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक प्रबंधक को लगभग 19 सोलर पैनल कर्ज की फाइलों को आगे बढ़ाने और मंजूर करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को बताया कि एक निजी कंपनी के कर्मचारी की शिकायत के आधार पर 25 जून को आरोपी प्रबंधक प्रवीण यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सीबीआई के अनुसार, यादव ने करीब 19 सोलर पैनल कर्ज की फाइलों को प्रोसेस और क्लियर करने के लिए कथित तौर पर प्रति फाइल 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

पत्नी पति की संपत्ति नहीं

भुबनेश्वर, 26 जून. उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि हर बालिग महिला को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना निवास स्थान और जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके.

उड़ीसा हाई कोर्ट का अहम फैसला

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मुरारी रमन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक हेबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान की. याचिका में एक पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और उसे अदालत के समक्ष पेश कराया जाए. सुनवाई के दौरान जब महिला अदालत के समक्ष पेश हुई तो उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर गई है और किसी के अवैध कब्जे या दबाव में नहीं है. महिला के इस बयान के बाद अदालत ने माना कि यह अपहरण या अवैध हिरासत का मामला नहीं है. खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई बालिग महिला वैवाहिक जीवन में उत्पीड़न, मतभेद या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से अलग रहने का निर्णय लेती है तो उसे जबरन पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि किसी महिला की स्वतंत्र इच्छा और उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेबियस कॉर्पस याचिका का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना होता है. जब यह साबित हो गया कि महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही है और किसी गैरकानूनी बंधन में नहीं है, तो इस मामले में हेबियस कॉर्पस की मांग का कोई आधार नहीं बचता.

गुजरात में ऊर्जा बचत अभियान शुरू

सरकारी दफ्तरों में बिजली बचत के सख्त निर्देश जारी

अहमदाबाद, 26 जून. गुजरात सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों में

एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना अनिवार्य होगा. यह निर्णय भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानकों के अनुरूप लिया गया है.

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय समय समाप्त होने के बाद, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाशों में लाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरण पूरी तरह बंद रखे जाएं. जो अधिकारी अवकाश पर हों या फील्ड ड्यूटी पर हों, उनके कमरों में भी बिजली के उपकरण बंद रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.

राधाकृष्णन आज से कर्नाटक की यात्रा पर

नई दिल्ली. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन शनिवार को दो दिन की कर्नाटक यात्रा पर जायेंगे जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. उप राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन शनिवार को बेंगलुरु में नादप्रभु श्री केम्पेगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह में शामिल होंगे. रविवार को वह बेंगलुरु में ही राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्थापना दिवस और नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव में भाग लेंगे.

पासपोर्ट शुल्क वृद्धि पर कांग्रेस ने की केंद्र की आलोचना

नयी दिल्ली, 26 जून. कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जुलाई से लागू होने वाली पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे आम जनता पर 'महंगाई की नई किस्त' करार दिया है.

शुक्रवार को जारी बयान में श्री सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाना 2,000 रुपये तक महंगा कर दिया है. उनके अनुसार 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर

रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले... 'महंगाई की नई किस्त'

5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन

- **शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होगा महाकुंभ**

नई दिल्ली, 26 जून. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 28 और 29 जून को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ और विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे. सम्मेलन का मुख्य विषय 'विकसित ग्राम-विकसित भारत' रखा गया है. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर गांवों के समग्र विकास के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करना है. सम्मेलन में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं, संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण विकास की नई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी.

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as ANUSUYA PATEL W/O KANU BHAI PATEL, R/o 179-C Rajendra Nagar, Lal Balti Kachori Ki Gali, Indore, PO: Sudama Nagar, DIST: Indore, Madhya Pradesh-452012 have changed my name and shall hereafter be known as ANSUYA PATEL.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **क्रिश, पिता श्री मनीष अग्रवाल**, निवासी पिपलियामंडी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.), यह सूचित करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम **'क्रिश' अंकित** है। अब मेरा सही एवं पूर्ण नाम **'क्रिश अग्रवाल'** है। अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम 'क्रिश अग्रवाल' ही माना एवं उपयोग किया जाए।

पुराना नाम: **क्रिश**

नया नाम: **क्रिश अग्रवाल**

सार्वजनिक विज्ञप्ति

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) हेतु आरक्षित आवासीय प्लाटों के विक्रय हेतु आवेदन आमंत्रण

(मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 एवं संशोधित नियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स 'ओसिया डेव्हलपर्स द्वारा पार्टनर अजित पिता शांतिलाल जैन निवासी 45, द्रविड़ नगर इन्दौर (कालोनाइजर) द्वारा ग्राम सेजवाया, तहसील धार, जिला धार में विकसित की जा रही 'कॉलोनी' को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त कॉलोनी में 'मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 एवं संशोधित नियम, 2021' के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आरक्षित विकसित आवासीय प्लाटों के विक्रय हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आरक्षित प्लॉटों का विवरण-

वर्ग	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल
EWS	ई 01 से ई 06	420 वर्गफीट
LIG.	एल 01 से एल 04	630 वर्गफीट

पात्रता की शर्तें- EWS वर्ग हेतु- 1. आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो। 2. परिवार की वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित EWS सीमा के अंतर्गत हो। 3. आवेदक अथवा उसके पति / पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के नाम पर उसी नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र में कोई अन्य आवासीय भूखंड या मकान नहीं हो। 4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। LIG **वर्ग हेतु-** 1. आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो। 2. परिवार की वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित स्लैब सीमा के अंतर्गत हो। 3. अन्य पात्रता शर्तें शासन के नियमानुसार लागू होंगी।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- 1. आवेदन पत्र 2. आधार कार्ड की प्रति 3. समग्र आईडी 4. निवास प्रमाण पत्र 5. आय प्रमाण पत्र 6. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटो 7. शपथ पत्र (100/- के स्टाम्प पर) 8. अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान- कार्यालय - ओसिया डेव्हलपर्स इंदौर पता 45 द्रविड़ नगर नर्मदा पानी की टंकी के पास इन्दौर

महत्वपूर्ण तिथियाँ- आवेदन प्रारंभ होने की तिथि - 29/06/2026 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 13/07/2026, पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन ...../07/2026 (न्यायालय कलेक्टर महोदय से अनुमोदन उपरांत) लॉटरी (ड्रा) की तिथि ..../07/2026, लॉटरी का स्थान -.आवंटन की प्रक्रिया- यदि प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या उपलब्ध प्लॉटों से अधिक होती है तो प्लॉटों का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी (ड्रा अथवा / लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी तथा इच्छुक आवेदक स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। विशेष सूचना- अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। कालोनाइजर/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। आवंटन शासन के प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें- कॉलोनाइजर - ओसिया डेव्हलपर्स इंदौर

पता - 45 द्रविड़ नगर नर्मदा पानी की टंकी के पास इन्दौर

मोबाइल - ई-मेल

दिनांक 23/06/2026

जा.क्रं. 4426/26

(राहुल गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग धार जिला धार (म.प्र)

पश्चिम रेलवे
भावनगर मण्डल

फिडर वायर का प्रावधान

निविदा सं. 11-TRDBVP-2026-27

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मण्डल रेल प्रबंधक (TRD) पश्चिम रेलवे, भावनगर निम्नानुसार कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **कार्य का नाम:** वांसजालीया (SP) - पोरबंदर (SSP) अनुभाग - समानांतर फिडर वायर का प्रावधान। **निविदा राशि:** ₹ 12,49,12,881/- **निविदा शूल्क :** शून्य, **ईएमडी राशि :** ₹ 24,98,300/- **पताः-** मरेप्र (कर्षण), बीवीपी, मरेप्र कार्यालय, भावनगर परा-364003। बिडर्स को केवल लिंक अर्थात् www.ireps.gov.in के द्वारा ऑन लाईन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाईट www.ireps.gov.in देखें। उपरोक्त निर्दिष्ट निविदाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि **20/07/2026** को 15:00 बजे तक है।

BVP-068

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331
email: zoindore.rec@uco.bank.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी दिनांक 29.07.2026

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 29.07.2026 को दोपहर 1 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **युको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	पीथमपुर शाखा	मेसर्स राधिका मिनी वेयरहाउस, प्रो. श्री राधेश्याम पिता राम सिंह	**12,91,231.97** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	20.11.25 / 22.05.26	पता नहीं	सर्वे संख्या 83/1/2, पैकी, ग्राम छपरिया, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453661 पर स्थित परिवर्तित व्यवसायिक शेड/गोडाउन का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 560 वर्गमीटर, संपत्ति स्वामी: श्री राधेश्याम पिता श्री राम सिंह** के नाम पर है। पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक ए1/3624, दिनांक 24.05.2012 देखें। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** राधेश्याम की भूमि सर्वे नं. 83/1/2/1/1, **दक्षिण:** जंगल की भूमि एवं नदी, **पूर्व:** जंगल की भूमि एवं शमशान, **पश्चिम:** रामलाल श्यामलाल की भूमि	**रु. 17.10 लाख** / **रु. 1,71,000**	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	**29.07.2026** 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	पीथमपुर शाखा	श्री पवन पिता नानूराम, श्रीमती रचना पति श्री पवन	**14,63,019.48** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	20.11.25 / 13.03.26	पता नहीं	प्लाट क्रमांक 192, विद्या विहार कॉलोनी, फेस-2, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित भूमि एवं भवन, **600 वर्गफीट क्षेत्रफल**, मालिक: **श्री पवन पिता श्री नानु एवं श्रीमती रचना पति श्री पवन**, पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक MP179122023A12278197, दिनांक 01.08.2023 देखे। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 201, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड, **पूर्व:** प्लाट नं. 191, **पश्चिम:** प्लाट नं. 193	**रु. 16.30 लाख** / **रु. 1,63,000**	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	**29.07.2026** 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। (2) इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। (3) अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। (4) अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। (5) बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। (6) बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। (7) सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। (8) सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 28.07.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331** से संपर्क किया जा सकता है। (9) यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। (10) बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 27.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक